प्ररूप सं. 30क

[नियम 43 *देखिए*]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 230 की उपधारा (1) के अधीन दिए जाने वाले वचनबंध का प्ररूप

सेवा में,

.....

.....

[विहित प्राधिकारी का पदनाम]

धारा 230 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन जारी किए जाने वाले अनापत्ति प्रमाणपत्र को ध्यान में रखते हुए, *मैं/हम भारत सरकार को ऐसे करों का संदाय करने का वचनबंध *करता हूं/करते हैं जो धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27), दान कर अधिनियम, 1958 (1958 का 18), आय-करअधिनियम, 1961 (1961 का 43) या व्यय कर अधिनियम, 1987 (1987 का 35) के अधीन *मेरे/हमारे नियोजनाधीन अवधि के दौरान अर्जित आय के संबंध में संदेय है या संदेय हो सकता है। उस व्यक्ति के, जिसके द्वारा मेरे/हमारे से आय प्राप्त की गई है, ब्यौरे नीचे दिए जा रहे हैं :

1. पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) .....
2. पिता (या पति) का नाम .....
3. पासपोर्ट सं./आपात प्रमाणपत्र सं. .....जो.....(स्थान तथा देश) से.....(तारीख) को जारी किया गया है।

2. *मेरा/हमारा [1]**[**स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक**]**.....है।

3. *मैं/हम यह और वचनबंध करता हूं/करते हैं कि ऐसे निर्धारण अधिकारी द्वारा, जिसे ऊपर निर्दिष्ट व्यक्ति के मामले में अधिकारिता प्राप्त है, प्रमाणित कोई रकम, जो पूर्वोक्त सभी या उनमें से किन्हीं अधिनियमितियों या अन्य अधिनियमितियों के अधीन उसके द्वारा शोध्य और संदेय हैं, *मेरे/हमारे द्वारा उक्त रकम के, जो पूर्वोक्त रूप में शोध्य और संदेय हो, निश्चायक साक्ष्य के रूप में स्वीकार की जाएगी और ऐसी किसी रकम के बारे में, किसी भी दशा में और किन्हीं भी परिस्थितियों में विवाद नहीं किया जाएगा।

4. इसके अतिरिक्त *मैं/हम यह वचनबंध और घोषणा *करता हूं/करते हैं कि यह वचनबंध किसी मृत्यु/विघटन या परिसमापन द्वारा पर्यवसित नहीं होगाया अन्यथा प्रभावित नहीं होगा, बल्कि तब तक *मेरे/हमारे तथा *मेरी/हमारी संपदा के विरुद्ध पूर्णतया प्रवृत्त और प्रभावी रहेगा जब तक कर की ऐसी रकम का, जो कि इसके अधीन शोध्य और संदेय है या शोध्य और संदेय हो जाए, पूर्ण रूप से संदाय नहीं कर दिया जाता।

5. *मैं/हम यह और वचनबंध *करता हूं/करते हैं कि केन्द्रीय सरकार को ऐसे किसी कर की, जो इस वचनबंध के अधीन शोध्य और संदेय है या जो शोध्य और संदेय हो जाए, वसूली के लिए प्राप्त किन्हीं उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार उक्त कर की *मेरे/हमारे से आय-कर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची में अंतर्विष्ट नियमों अथवा समय-समय पर उनमें किए गए किसी उपांतरण के अनुसार वसूली करने की हकदार होगी तथा केन्द्रीय सरकार के लिए ऊपर वर्णित किसी कर की वसूली के लिए *मेरे/हमारे विरुद्ध वाद लाने से पूर्व निर्धारिती (निर्धारितियों) के विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाहियां प्रारंभ करना और/या उन्हें निःशेषकारी बनाना आवश्यक नहीं होगा।

स्थान : .....

तारीख : .....

.....

*[धारा 230(1) के खंड (*i*) में निर्दिष्ट नियोजक]

*[धारा 230(1) के खंड (*ii*) में निर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति]

*जो लागू न हो उसे काट दें।

---

1. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक (पैन)" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।